न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक

पीठासीन अधिकारी :– प्रीति मीणा, (RAS)

प्रार्थना पत्र सं0––678/2025

प्रविष्टि दिनांक––23.12.2025

1. कुन्ती पुत्री रामधन जाति माली निवासी कस्वा निवाई तह0 निवाई जिला टोंक राज0
2. कपूरी पुत्री रामधन जाति माली निवासी कस्वा निवाई तह0 निवाई जिला टोंक राज0
3. खेमराज पुत्र रामधन जाति माली निवासी कस्वा निवाई तह0 निवाई जिला टोंक राज0
4. ~~नर्बदा पत्नी रामधन जाति माली निवासी कस्वा निवाई तह0 निवाई जिला टोंक राज0~~(फोत)
5. भूली पुत्री रामधन जाति माली निवासी कस्वा निवाई तह0 निवाई जिला टोंक राज0
6. मीरा पुत्री रामधन जाति माली निवासी कस्वा निवाई तह0 निवाई जिला टोंक राज0
7. ललित पुत्र रामधन जाति माली निवासी कस्वा निवाई तह0 निवाई जिला टोंक राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक
2. उपपंजीयक निवाई जिला टोंक

– अप्रार्थीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री गिरधर सिंह तंवर – प्रार्थी
पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, भू–राजस्व अधिनियम

दिनांक 27/2/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की भूमि आराजियात ख0न0 3666 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा भूमि वाके कस्बा निवाई जिला टोंक में स्थित थी माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर टोंक के समक्ष दायर वाद भूरा बनाम गिरधारी वाद संख्या 147/88 के निर्णय व डिक्री अनुसार उक्त आराजी का तकासमा विभाजन राजस्व कर्मचारियों द्वारा किया गया था। जिसके तहत प्रार्थीगण के पिता की हिस्से की भूमि के ख0न0 3666/1 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा भूमि हिस्से में आई। बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग निकालना प्रस्तावित होने पर प्रार्थीगण के पिता रामधन के हिस्से व खातेदारी की भूमि में से 14 बिस्वा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अवाप्त की गई। जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अवाप्त की गई। जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन मंत्रालय की भूमि के ख0न0 3666/1 व प्रार्थीगण के पिता की भूमि के खसरा नम्बर 3666/4 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा हो गये। ख0न0 3666/2 सहखातेदार गिरधारी पुत्र बजरंगा के हिस्से में आई जो विक्रय हो चुकी है, वर्तमान में खातेदार मायादेवी, विजय, अनीता देवी, मीनादेवी, के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं ख0न0 3666/3 भूरा, नानगा पुत्रान रामलाल के वारिसान कमला, मीरा, मोत्या, गोपाल, नाथू व कमली, कस्तुरी, कालू, तीजा, बाबूलाल के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक तकासमा न्यायालय की डिक्री की पालना में ख0न0 3666 मूल रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा में से प्रार्थीगण के पिता रामधन के हिस्से में उत्तरी दिशा की जमीन आई थी। जिसे विभाजन पत्र एवं मौका पर्चा रिपोर्ट में लाल रंग से दर्शाया गया है। तथा सहखातेदार गिरधारी पुत्र बजरंगा के हिस्से में रामधन के हिस्से की भूमि के सटवा दक्षिण पश्चिम दिशा की जमीन आई थी, जिसे विभाजन पत्र एवं मौका पर्चा रिपोर्ट में पीले रंग से दर्शाया गया है। जिसके ख0न0 3666/2 है और उक्त 3666/2 के पीछे पूर्व व दक्षिण दिशा की भूमि भूरा, नानगा पुत्रान रामपाल के हिस्से में आई थी जिसे विभाजन पत्र एवं मौका पर्चा रिपोर्ट में बैंगनी रंग से दर्शाया गया है जिसके ख0न0 3666/3 है। सभी पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर अपने–अपने हिस्से की भूमि ख0न0 3666/4 में पुख्ता कुआं खुदवाकर विद्युत कनेक्शन करवाया व पुख्ता मकानात का निर्माण करवाकर मय परिवार निवास करते चले आ रहे है। इस प्रकार प्रार्थीगण ख0न0 3666/4 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा भूमि पर उत्तरी दिशा की तरफ के हिस्से पर लगे सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग पर काबिज चले आ रहे है। जिसके सड़क परिवहन मन्त्रालय नेशनल

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

हाईवे की भूमि पश्चिम दिशा में स्थित है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.01.1991 में राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश देने के बावजूद राजस्व कर्मचारियों ने नक्शा ट्रेस के अनुसार नहीं है। हल्का पटवारी के ख0न0 3666/2 एवं ख0न0 3666/3 के खातेदार से साज व मिलीभगत करके नक्शा शीट में तीनों की भूमि को उल्टा सुल्टा कर दिया, जबकि आज भी उक्त भूमियों के खातेदार पूर्व की भांति ही अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज चले आ रहे है। यानि वर्तमान नक्शा शीट के अनुसार कब्जा काश्त नहीं है। राजस्व कर्मचारी द्वारा ख0न0 3666/4 रकबा 10 बीघा 03 बिस्वा का है जिसे उक्त नक्शा शीट में रकबा 7 बीघा का ही बनाया गया है जो दुरुस्त किया जाना विधिसंगत एवं न्यायसंगत है। ख0न0 3666/3 की आकृति वर्तमान नक्शा शीट में 8 बीघा की कर दी गई, जबकि उक्त भूमि जमाबंदी के अनुसार मात्र 5 बीघा 8 बिस्वा की है, यानि वर्तमान नक्शा ट्रेस में उक्त खसरे को बड़ा दर्शाया गया है। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वर्तमान नक्शा शीट में ख0न0 3666/2, 3666/3, 3666/4 की तरमीम को निरस्त अपास्त कर न्यायालय की डिक्री के साथ संलग्न नक्शा शीट एवं मौके पर कब्जे काश्त एवं निर्माणाधीन अलामात के आधार पर वर्तमान नक्शा शीट में तरमीम करने के आदेश प्रदान फरमावें। प्रार्थीगण की आराजियात ख0न0 3666/4 रकबा 10 बीघा 03 बिस्वा जिसके पुख्ता चाहरदीवारी हो रखी है जिसमें पुख्ता मकानात मय विद्युत कनेक्शन शुदा, पुख्ता कुआ मय विद्युत कनेक्शन शुदा स्थित है, उक्त भूमि को लंबे सड़क नेशनल हाईवे ख0न0 3666/1 के सटवा 3666/2 के स्थान पर मूल रकबे के अनुसार तरमीम करने के आदेश प्रदान फरमावें जो विधिसंगत व न्यायसंगत है।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

इसके पश्चात प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार निवाई से रिपोर्ट प्राप्त, जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार निवाई से प्राप्त रिपोर्ट का सारांशतः इस प्रकार है कि ग्राम कस्बा निवाई के आराजी खसरा नम्बर 3666/4 रकबा 2.5672 हैक्टेयर भूमि वादी के कब्जे काश्त में है। प्रार्थीगण की शामिल आराजियात ख0न0 3666 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा भूमि शामिल खातेदारी की भूमि थी। जिसका तकासमा न्यायालय सहायक कलेक्टर टोंक के दायर वाद भूरा बनाम गिरधारी वाद संख्या 147/88 के निर्णय व डिक्री की पालना में नामा0 संख्या 2402 द्वारा उक्त आराजी का तकासमा दर्ज किया गया। उक्त के बाद तत्कालीन तकासमें का नजरी नक्शा निम्नानुसार था। तत्पश्चात् ख0न0 3666/4 के खातेदारान् की 14 बिस्वा भूमि उत्तरी पश्चिमी हिस्से की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग में दर्ज हो गयी। जिसका अमल नामा0 संख्या 2859 दिनांक 24.06.99 से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। वर्तमान में उक्त आराजियात के सभी खातेदार मौके पर दर्ज उक्त नजरी नक्शा अनुसार ही कब्जा काश्त है। मुताबिक तकासमा न्यायालय की डिक्री में प्रार्थीगण के हिस्से में उत्तरी दिशा की जमीन आई थी। ख0न0 3666 की तरमीम डीआईएलआरएमपी ऑनलाईन शीट में एवं मूल तकासमा की डिक्री आदेश में पूर्णतया भिन्न है। अतः मुताबिक तकासमा डिक्री आदेश, राष्ट्रीय राजमार्ग अवाप्ति पश्चात् मौका कब्जानुसार प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये वर्तमान नक्शा शीट में ख0न0 3666/2, 3666/3, 3666/4 की तरमीम को निरस्त अपास्त कर न्यायालय की डिक्री के साथ संलग्न नक्शा शीट एवं मौके पर कब्जे काश्त एवं निर्माणाधीन अलामात के आधार पर वर्तमान नक्शा शीट में तरमीम करने हेतु तहसीलदार निवाई से प्राप्त रिपोर्ट में संलग्न प्रस्तावित नक्शा ट्रेस के अनुसार किये जाने का निवेदन किया एवं प्रार्थी की भूमि ख0न0 3666/4 रकबा 2.5672 है0 की तरमीम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी में अंकित रकबा अनुसार किये जाने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार ने तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किये जाने की सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस व उपलब्ध दस्तावेजात् से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 3666/4 रकबा 2.5672 है0 की तरमीम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में न्यायालय सहायक कलेक्टर टोंक के दायर वाद भूरा बनाम गिरधारी वाद संख्या 147/88 के निर्णय व डिक्री अनुसार दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बरान् 3666/4, 3666/2, 3666/3 की तरमीम रकबे अनुसार दर्ज नहीं होकर घट एवं बढ़ रही है जिसे

उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)

रकबा अनुसार एवं माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर टोंक से पारित निर्णय अनुसार दर्ज करने हेतु तहसीलदार निवाई द्वारा प्रस्तावित किया गया है तथा पेरोकार सरकार ने भी दौराने बहस प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यो को सही मानते हुए इस्तदुआ स्वीकार की गई। इसलिए न्याय हित व भविष्य में अनावश्यक वादो की बढोतरी को रोकने के लिए इस पर विचार किया जाना उचित है। अतः इकबालिया जवाब, बहस एवं पेरोकार सरकार की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार करना उचित समझता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर एवं तहसीलदार निवाई/पेरोकार सरकार की रिपोर्ट/दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित अराजियात खसरा नम्बर 3666/4 रकबा 2.5672 है0, खसरा नम्बर 3666/2 रकबा 1.3785 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3666/3 रकबा 1.3658 हैक्टेयर वाके ग्राम कस्बा निवाई पटवार हल्का कस्बा निवाई प्रथम की तरमीम आपकी रिपोर्ट में संलग्न प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना से अवगत करावे।

निर्णय आज दिनांक 27/2/26 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(प्रीति मीना)
उपखण्ड अधिकारी निवाई